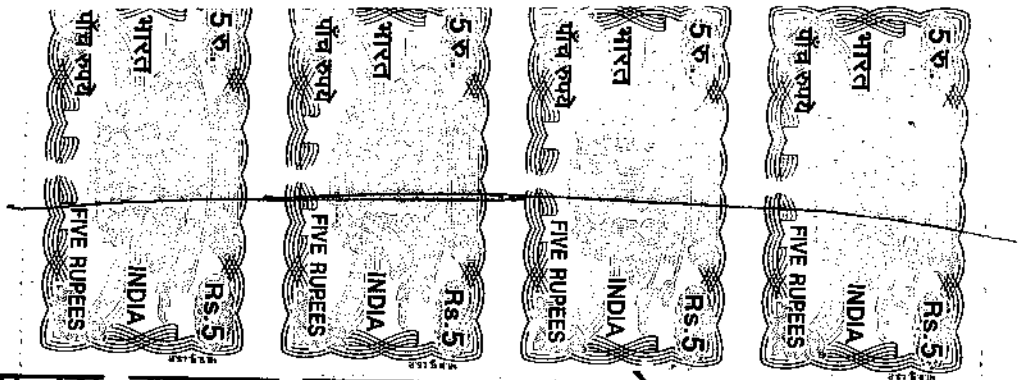

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :– ..../PBR/2014 विविध 9038-PBR-16

मोहन सिंह पुत्र श्री तीतुरिया जाटव
निवासी ग्राम बीरमढाना तहसील डबरा
जिला ग्वालियर —प्रार्थी

दिनांक 2-4-16 को प्रकि. क्रमांक ... द्वारा प्रस्तुत
2-4-16

बनाम

1— मध्य प्रदेश शासन

2— सुरेश पुत्र श्री जगतसिंह जाटव
निवासी ग्राम बीरमढाना तहसील डबरा
जिला ग्वालियर —प्रतिप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 152 व 153 सी.पी.सी. एवं धारा सहपठित धारा 32 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता

महोदय,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

1. यह कि, आवेदक ने अधीनस्त कलैक्टर जिला ग्वालियर के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 131/2011–12/बी–121 मोहन सिंह बनाम मध्य प्रदेश शासन मे पारित आदेश दिनांक 29.05.2014 के विरूद्ध निगरानी माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत की थी, जिसका प्रकरण क्रमांक 1974/PBR/2014 निगरानी था जिसमे प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.03.2016 को प्रार्थी ने निगरानी वापस लेकर सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करने के लिये निवेदन किया था। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9038–पीबीआर/16 [मोहन/शासन आदि] जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–4–2016	आवेदक की ओर से श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक एवं अनावेदक कमांक 1 म0प्र0 शासन की ओर से श्री बी.एन. त्यागी अभिभाषक उपस्थित । आवेदक के अभिभाषक द्वारा अनुरोध किया गया कि कलेक्टर के प्रकरण कमांक 131/2011–12/बी–21 आदेश दिनांक 29–5–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण कमांक 1914–पीबीआर/14 प्रस्तुत की गई थी, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 9–3–2016 को आदेश पारित कर इस आधार पर समाप्त किया गया है कि आवेदक प्रकरण नहीं चलाना चाहते, जबकि आवेदक द्वारा सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु मूल प्रकरण वापिस किये जाने का निवेदन किया गया था । अतः उक्त आदेश को संशोधित कर आवेदक को मूल प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाये । उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आवेदक का आवेदन पत्र न्यायहित में मान्य किया जाकर इस न्यायालय के आदेश में उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाता है । प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जाता है । यह विविध प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	